



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052023-245608
CG-DL-E-02052023-245608

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1914]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945

No. 1914]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/VAISAKHA 12, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

का.आ. 2002(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, नियर तहसील आफिस कैम्पस एंस्डीओ आफिस सिंदखेड़ राजा (NH753A) के कि.मी. 0 से 5.58 महाराष्ट्र राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH753A पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सब-डिविजन आफिसर अंड कंपोटेंट अथारिटी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	महाराष्ट्र	बुलढाणा	देऊळगाव राजा	1 कुंभारी

	ओफ लैंड एक्विजिशन, सिंदखेड राजा	NH753A के कि.मी. 0 से 5.58 तक			
--	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

[फा. सं. NH-12014/15/2015-MAH]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2023

S.O. 2002(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km.0 to 5.58 of Near Tahasil Office Campus SDO Office Sindkhed Raja (NH753A) in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH753A in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub-Division Officer and Competent Authority of Land Acquisition, Sindkhed Raja	0 KM To 5.58 KM	MAHARASHTRA	BULDHANA	Deolgaon Raja	1 Kumbhari

[F. No. NH-12014/15/2015-MAH]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.